नागरिक अधिकार पत्र
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महाराष्ट्र

हमारी प्रतिबद्धतायें:

1. भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण एवं उसके उन्मूलन के लिए सजग रहकर कार्यवाही करना।
2. भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट लोक सेवकों के बारे में आसूचना का प्रभावी संग्रह एवं प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करना।
3. निष्पक्ष, दक्ष एवं शालीन तरीके से अपने दायित्वों का निर्वाह करना।
4. जनता को भ्रष्ट गतिविधियों एवं लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही करने में सहयोग देने के प्रति जागृत करना।
5. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के नियमों एवं प्रावधानों की पालना करना।
6. ब्यूरो में दर्ज ट्रेप के अभियोगों का 2 माह में, आय से अधिक सम्पत्ति के अभियोगों का 1 वर्ष में व पद के दुरुपयोग के बारे में दर्ज अभियोग का 6 माह में निस्तारण करना।
7. जिन अभियोगों में पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं से परीक्षण रिपोर्ट ली जाती है, उन्हें शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास करना।
8. ब्यूरो में दर्ज परिवादों का निस्तारण 1 माह में एवं प्राथमिक जांच का निस्तारण 6 माह में करने के प्रयास करना।
9. अदालतों से प्राप्त सम्मन/वारन्ट की तामील सुनिश्चित करना।

जनता के अधिकार:

1. लोक सेवकों द्वारा जनता के जायज कार्य तत्काल इमानदारी से संपन्न किये जाने चाहिए।
2. लोक सेवकों के मांग करने पर रिश्वत की सूचना ब्यूरो को प्रदान करे, उन्हें पकड़वाना।
3. यथोचित समय में जायज कार्य न हो तो संबंधित उच्च अधिकारियों को शिकायत करना।
4. निर्माण/विकास कार्यों में अनियमितता/घोटाला एवं सरकारी धन का दुरुपयोग की सूचना ब्यूरो को लिखित या मौखिक देना।
5. ब्यूरो में दर्ज करवाई शिकायत की जानकारी का अधिकार।
6. भ्रष्ट लोक सेवकों के पास आय से अधिक सम्पत्ति होने की सूचना देने का अधिकार।

जनता से अपेक्षाएँ:

भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रयास जनता और राजकीय विभागों/संगठनों के यथोचित सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकते हैं। जनता से अपेक्षा है कि वो अपने जायज कार्यों के लिए भ्रष्टाचारी लोक सेवकों को रिश्वत एवं प्रलोभन न देवें और इसकी तत्काल ब्यूरो के अधिकारियों को सूचना देवें। इसी प्रकार अनेक विभागाध्यक्षों के पास जैसे ही अपने अधीनस्थ लोक सेवकों की भ्रष्टाचार के संबंध में अंकेक्षण रिपोर्ट या परिवाद या अन्य स्त्रोतों से सूचना आती है तो अपने स्तर पर उसका प्रारम्भिक सत्यापन कर सच्चाई पाई जाने पर तत्काल सूचना ब्यूरो मुख्यालय/चौकियों को दी जावे।

ब्यूरो मुख्यालय _______________ में है, जहाँ के दूरभाष नम्बर 1234567, 1234567, 1234567 एवं फैक्स नं. 1234567 अनवरत रूप से दिन–रात कार्यरत हैं; इसके अलावा ब्यूरो की चौकियों पर भी टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुये भ्रष्ट लोक सेवकों के गैर कानूनी कृत्यों की तत्काल सूचना ब्यूरो को देकर इस बुराई से लड़ने में मदद करें।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का "नागरिक चार्टर"

हमारे लक्ष्य :

1. लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना।
2. आम नागरिक को भ्रष्ट लोक सेवकों के चंगुल से सुरक्षा प्रदान करना।

हमारे मूल्य :

1. सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना।
2. भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ प्रभावी एवं निष्पक्ष कार्यवाही तथा परिवादी के वैध हितों की रक्षा करना।
3. उत्तम व्यक्तिगत आचरण, कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के मानदण्ड बनाये रखना।
4. संवेदनशीलता, कानूनी कटिबद्धता एवं उपयुक्त पारदर्शिता को बनाये रखना।

हमारी प्राथमिकताएँ :

1. लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष जारी रखना।
2. भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण कर जनता को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं ईमानदार प्रशासन देने में सहयोग करना।
3. संस्थागत भ्रष्टाचार के स्वरूप व व्यापकता का पता लगाकर उस पर प्रभावी नियंत्रण करना।
4. भ्रष्टाचार उन्मूलन के कार्य में सहयोग करने वाले सूत्रों, मुखबिरों, गवाहों, नागरिकों एवं परिवादियों के जायज हितों की रक्षा करना।
5. ब्यूरो स्टाफ को उचित प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देकर कार्यकुशलता एवं क्षमता को बढ़ाना।
6. जनता को भ्रष्ट लोक सेवकों से आगाह करना और भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही के लिए ब्यूरो के सहयोग करने के लिए शिक्षित एवं प्रेरित करना।

हमारी कार्य पद्धति :

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमों एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 तथा प्रचलित अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्य करता है। ब्यूरो भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध रिश्वत की मांग करने पर उसका सत्यापन कर रिश्वत प्राप्त करने वाले लोक सेवक को रंगे हाथों पकड़ता है, पद का दुरुपयोग कर या आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोग पंजीबद्ध कर कार्यवाही करता है। इस उद्देश्य के लिए ब्यूरो की महाराष्ट्र में ____ चौकियॉ स्थापित हैं। कोई भी नागरिक किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर ब्यूरो मुख्यालय या ब्यूरो की किसी भी चौकी पर उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। पत्र या टेलीफोनिक सूचना के द्वारा भी सूचना दे सकता है।